यू॰ पी॰ बैंक इम्प्लाईज यूनियन

पंजीकरण संख्या–538
ए.आई.बी.ई.ए. से संबद्ध
केन्द्रीय कार्यालय : 106/107 द्वितीय तल, ब्लाक संख्या 26/2/4, संजय प्लेस, आगरा–282002
पत्र व्यवहार : 3/17, विभव नगर, आगरा–282 001, मो0: 09837472750
फोन/फैक्सः (नि0) 0562–4044383, **E-mail: mmrai_2509@yahoo.co.in & mmrai2509@gmail.com**

परिपत्र संख्या : 2016–19/69/2018 **दिनांक :** 23.06.2018

सभी प्रान्तीय पदाधिकारियों, कार्यकारिणी सदस्यों
जिला इकाईओं के मंत्रियों/अध्यक्षों हेतु

प्रिय साथियों,

हम एआईबीईए के महामंत्री साथी सी.एच. वेंकटचलम् द्वारा सचिव, श्रम एवं रोजगार, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार को लिखे गए पत्र संख्या एआईबीईए/जीएस/2018/48 दिनांक 21.6.2018 का अनूदित सार आपके सूचनार्थ नीचे प्रस्तुत कर रहे हैं।

अभिवादन सहित,
आपका साथी,

(मदन मोहन राय)
महामंत्री

प्रति
श्री हीरालाल सामरिया
सचिव,
श्रम एवं रोजगार
श्रम मंत्रालय, भारत सरकार
श्रम शक्ति भवन
रफी मार्ग, नई दिल्ली – 110001

प्रिय महोदय,

हम आपको हमारे पत्र दिनांक 20.06.2018 का संदर्भ प्रस्तुत करते हैं जो कई राज्यों में आरएलसी के पदों को न भरे जाने और अधिनियम के अनुसार न्यूनतम वेतन के भुगतान की मांग करने के लिए दावों को प्रस्तुत करने में अनुबंध कर्मचारियों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं के संबंध में हैं जिससे उन्हें वंचित किया जा रहा है।

हम आपके संज्ञान तथा जानकारी में यह भी लाना चाहते हैं कि 22 सीजीआईटी – केन्द्र सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण–सह–श्रम न्यायालय में से 13 सीजीआईटी में, कोई पीठासीन अधिकारी नहीं है जिसका परिणाम यह है कि इन न्यायाधिकरणों को संदर्भित श्रम मामले और विवाद समाधान के बिना बढ़ रहे हैं। ऐसे परिदृश्य में जहाँ नियोक्ता और प्रबंधन श्रम कानूनों का स्पष्टता से उल्लंघन कर रहे हैं, जब कि कर्मचारियों तथा श्रम संगठनों को विवादों के लिए वैध उपाय लेने के लिए मजबूर किया जाता है, अधिकांश सीजीआईटी/श्रम न्यायालयों में पीठासीन अधिकारी के पदों को खाली रखना और पदों को न भरना विवादों/अवार्ड के समाधान में देरी कर रहा है।

जारी पृष्ठ 2

निम्नलिखित तालिका रिक्त पड़े हुए पीठासीन अधिकारियों की रिक्तियों की सीमा को समझायेगी।

क्र.सं.	सीजीआईटी–सह–श्रम न्यायालय	पीठासीन अधिकारी का नाम
1.	धनबाद कोर्ट नं. 1	रिक्त
2.	धनबाद कोर्ट नं. 2	रिक्त
3.	जबलपुर	रिक्त
4.	कानपुर	
5.	दिल्ली कोर्ट नं. 1	
6.	आसनसोल	
7.	चंडीगढ़ कोर्ट नं. 1	रिक्त
8.	कोलकाता	रिक्त
9.	कोर्ट नं. 1, मुम्बई	रिक्त
10.	कोर्ट नं. 2, मुम्बई	
11.	जयपुर	रिक्त
12.	नागपुर	रिक्त
13.	लखनऊ	
14.	बैंगलौर	रिक्त
15.	चैन्नई	रिक्त
16.	हैदराबाद	
17.	भुवनेश्वर	
18.	दिल्ली कोर्ट नं. 2	रिक्त
19.	गुवाहाटी	
20.	अहमदाबाद	
21.	एर्नाकुलम	रिक्त
22.	चंडीगढ़ कोर्ट नं. 2	रिक्त

हम इस समस्या पर आपके विशेष ध्यान की मांग करते हैं तथा इन रिक्तियों को भरने के लिए आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध करते हैं।

सधन्यवाद,

आपका विश्वासपात्र
ह0..
सी.एच. वेंकटचलम्
महामंत्री

प्रतिलिपि : मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय)